कार्यालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी : श्री पी आर मीना, आर ए एस
अपील संख्या /आरटीए/ 123/2023

अनवान

1. श्रीमती सरजु बेवा मूलचन्द सुथार, निवासी–तस्वारिया, तहसील व जिला भीलवाडा
2. भॅवर लाल पुत्र मूलचन्द सुथार, निवासी–तस्वारिया, तहसील व जिला भीलवाडा
3. मदन लाल पुत्र मूलचन्द सुथार, निवासी–तस्वारिया, तहसील व जिला भीलवाडा
4. श्रीमती कमला पुत्री मूलचन्द सुथार, निवासी–तस्वारिया, तहसील व जिला भीलवाडा
5. श्रीमती शान्ता पुत्री मूलचन्द सुथार, निवासी–तस्वारिया, तहसील व जिला भीलवाडा

अपीलार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती लादी बेवा कल्याण सुथार, निवासी– तस्वारिया, तहसील व जिला भीलवाडा
2. शंकर पुत्र कल्याण सुथार, निवासी– तस्वारिया, तहसील व जिला भीलवाडा
3. प्रभु पुत्र कल्याण सुथार, निवासी– तस्वारिया, तहसील व जिला भीलवाडा
4. श्रीमती बालु पुत्री कल्याण सुथार, निवासी– तस्वारिया, तहसील व जिला भीलवाडा
5. श्रीमती विमला पुत्री कल्याण सुथार, निवासी– तस्वारिया, तहसील व जिला भीलवाडा
6. श्रीमती बदाम पुत्री कल्याण सुथार, निवासी– तस्वारिया, तहसील व जिला भीलवाडा
7. गंगाराम पुत्र रामचन्द्र सुथार, निवासी– तस्वारिया, तहसील व जिला भीलवाडा
8. श्रीमती शोभा देवी पत्नी कालु माली, निवासी सिन्दरी के बालाजी, सांगानेर, तहसील व जिला भीलवाडा
9. मुकेश कुमार पुत्र इन्द्रमल सोमाणी, मृतक के बजाय :–

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

9/1 यश पुत्र स्व0 मुकेश कुमार सोमाणी, निवासी–4–के–19, आर सी व्यास, कोलोनी भीलवाडा

9/2 श्रीमती ममला पत्नी स्व0 मुकेश कुमार सोमाणी, निवासी–4–के–19 आर सी व्यास, कोलोनी, भीलवाडा

9/3 अन्नया पुत्री स्व0 मुकेश कुमार नाबालिग जरिये बबिलायत माता ममता पत्नी मुकेश कुमार सोमाणी, निवासी–4 के –19 आर सी व्यास, कोलोनी भीलवाडा

10 उपपंजीयक अधिकारी, उप पंजीयक कार्यालय, भीलवाडा

11 राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार, भीलवाडा, जिला भीलवाड़ा (राज०)

प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरुद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी , भीलवाडा
के प्रकरण संख्या 217/2012
प्रार्थना पत्र अन्तरिम आदेश 19.09.2022

अधिवक्तागण :–

1. श्री अमित कोठारी,, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. प्रत्यर्थीगण अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक 17.2.2026

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण /प्रार्थीगण ने प्रार्थना अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अनवान् का एक वाद प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय के समक्ष काफी ठोस आधारों पर प्रस्तुत कर दिया है जो अवश्यमेव प्रार्थीगण के पक्ष में डिकी होवेगा। किन्तु वाद के निर्णय में अभी समय लगेगा इस हेतु विपक्षी संख्या 01 से लगायत 09 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है ।

2. राजस्व ग्राम तस्वारिया तहसील व जिला भीलवाड़ा के बेरून हल्के में आराजी संख्या 154 रकबा 05 बीघा 06 बीस्वा अन्य और आराजियातो के साथ खातेदारी हक से श्री कल्याण व गंगाराम पुत्र श्री रामचन्द्र खाती के नाम पर संयुक्त अभिलिखित थी व है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

3. आराजी संख्या 154 रकबा 05 बीघा 06 बिस्वा वाके तस्वारिया के बजानिब दक्षिण तरफ प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार की आराजी संख्या 139 अवस्थित है । इस हेतु प्रमाण में प्रार्थीगण के खाते की जमाबन्दी की नकल एवं राजस्व नक्शा ग्राम तस्वारिया का पेश है ।

4. आराजी संख्या 154 रकबा 05 बीघा 06 बिस्वा वाके ग्राम तस्वारिया पर विपक्षी संख्या 01 से लगायत 06 के पिता व पति श्री कल्याण वल्द रामचन्द्र खाती व उसके भाई विपक्षी संख्या 07 गंगाराम ने 03 बीघा 10 बिस्वा बजानिब दक्षिण की तरफ कल्याण वल्द रामचन्द्र सुथार के हक व हिस्से व कब्जे में होना बताया जिसके पडौस निम्न है :–

पूर्व विपक्षी संख्या 07 गंगाराम पुत्र रामचन्द्र खाती के हिस्से की आराजी
पश्चिम मांगीलाल पुत्र श्री लक्ष्माण जी गाडरी व आगे हजारी गाडरी की जमीन
उत्तर रामचन्द्र पुत्र श्री बज्जा गायरी व जहुर चाचा की आराजी
दक्षिण :– प्रार्थी संख्या 01 से लगायत 06 के पिता व पति श्री मूलचन्द सुथार व अन्य सह खातेदार के खाते की सटी हुई भुमि

प्रार्थनापत्र की धारा 04 में वर्णित हिस्से की भुमि को आगे प्रार्थनापत्र में विवादित आराजी से सम्बोधित किया जा रहा है।

5. आराजी संख्या 154 रकबा 05 बीघा 06 बीस्वा में से बजानिब दक्षिणी तरफ 03 बीघा 10 विश्वा भूमि का विकावनामा विपक्षी संख्या 01 से लगायत 06 के पिता व पति श्री कल्याण वल्द रामचन्द्र सुथार व उसके भाई विपक्षी संख्या 07 गंगाराम सुथार ने प्रार्थीगण के पिता व पति श्री मूलवन्द सुथार को बिल एवज 6000/– रूपये छः हजार रूपयों में तारीख 14.01.1982 को विक्रय पत्र वाछिंत स्टाम्पो पर लिखा रजिस्ट्री करा अपने अंगुष्ट कर कब्जा दे दिया तथा उक्त खत विकाव में यह भी अंकित कर दिया कि उक्त आराजियात रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा तव्हा विपक्षी संख्या 01 से लगायत 06 के पिता व पति कल्याण वल्द रामवन्द्र सुधार के हिस्से की विक्रय की गई है।

6. उक्त विवादित आराजी संख्या 154 रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा वाके तस्वारिया तत्समय भूमि विकास बैंक व अन्य व्यक्तियो के गिखी होने के कतीपय कारणो से इन्तकाल प्रार्थीगण के पिता व पति श्री मूलचन्द के नाम नहीं खुल सका तथा बाद में प्रार्थीगण के पिता व पति मूलचन्द व विपक्षी संख्या 01 से लगायत 06 के पिता व पति श्री कल्याण सुथार का भी देहान्त हो गया इस कारण राजस्व माली कागजो में प्रार्थीगण का नाम अंकन नहीं हो सका किन्तु कब्जा व दखल विवादित आराजी संख्या 154 रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा पर तारिख खरिद दिनांक 14.01.1982 से निरन्तर बिना किसी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

दखलअन्दाजी व हस्तक्षेप के प्रार्थीगण के पिता व पति श्री मुलचन्द सुथार का व उनके निधन पश्चात प्रार्थीगण का ही काबिज हो काश्त कर घास आदि ले उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है ।

7. बाद विकाव विवादित आराजी संख्या 154 रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा वाके तस्वारिया जिसके पडौस प्रार्थनापत्र की धारा 04 में बताये गये है, पर विपक्षी संख्या 01 से लगायत 09 का कोई कब्जा व दखल नहीं रहा है बल्कि तारीख खरिद दिनांक 14.01.1982 से निरन्तर बिना किसी दखलन्दाजी के कब्जा व दखल प्रार्थीगण का ही तनाह विपक्षी संख्या 01 से लगायत 06 बमुकाबले पीसफुली व होस्टाईली हो चला आ रहा है। गरज कि उक्त खतबिकाव नामा तारीख खरिद 14.01.1982 से कब्जा निरन्तर बिना किसी विघ्न बाधा के तनाह प्रार्थीगण का ही हो चले आने से प्रार्थीगण का उक्त विवादित भुमि में परफेक्ट टाईटल हो जाने से खातेदारी हक प्राप्त हो काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहे है।

8. उपरोक्त वर्णित कारणो से प्रार्थीगण को यह भय व आशंका है कि विपक्षी संख्या 01 से लगायत 09 कभी भी कोई गलत कार्य प्रार्थीगण की उक्त खरिदशुदा विचादित आरजियात से जबरन बेदखल कर सकता है। इस कारण प्रार्थीगण बमुकाबले विपक्षी संख्या 01 से लगायत 09 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है की विपक्षी संख्या 01 से लगायत 09 प्रार्थनापत्र की धारा 04 में वर्णित पडौसों के मध्य की भुमि को आगे बिकाव नहीं करे करावें व न बैंक अथवा सोसायटी से ऋण भार युक्त ही करे करावें व न प्रार्थीगण को जबरन बेदखल ही करें करावें व न प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त में कोई दखल अन्दाजी करे करावें ।

9. प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया केस है तथा सुविधा सन्तुलन भी प्रार्थीगण के ही पक्ष में है और अपरिमित हानि भी प्रार्थीगण को ही होवेगी, यदि विपक्षी संख्या 01 से लगायत 09 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जाता है और विपक्षी संख्या ०४ व ०१ द्वारा तथाकथित विवादित आराजियात को आगे विक्रय कर अथवा रहन बय बक्षीस कर हस्तांतरित कर देने पर प्रार्थीगण को विवादित आराजियात पर से जबरन बेदखल कर देने पर अपरिमित हानि प्रार्थीगण को ही होवेगी जिसकी क्षतिपूर्ति कतई संभव नहीं हो पायेगी और पक्षकारों के मध्य अनेकानेक वाद विवाद पैदा हो जायेंगे इस कारण प्रार्थीगण विपक्षी संख्या 01 से लगायत 09 के विरुद्ध इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के कानुनन अधिकारी है, कि विपक्षी संख्या 01 से लगायत 09 वाद के निर्णय तक प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में बेजा दखलन्दाजी नहीं करें

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

करावें और न ही प्रार्थीगण को विवादित जमीन पर से जबरन बेदखल ही करें करावें और न ही तथाकथित विवादित आराजियात को आगे कोई किसी प्रकार से हस्तांतरित करें व न ही विवादित आराजियात पर किसी भी बैंक अथवा सोसायटीज् से ऋण प्राप्त कर रहन का भार ही कायम करें करावें । इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीगण विपक्षी संख्या से लगायत 09 के विरुद्ध प्राप्त करने के अधिकारी है जिस हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश है ।

अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष में व विपक्षी संख्या 01 से लगायत 09 के विरूद्ध सादिर फरमाई जावें कि विपक्षी संख्या 01 से लगायत 09 वाद के निर्णय तक विवादित आराजियात में प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में बेजा दखलन्दाजी नहीं करें करावें और न ही प्रार्थीगण को विवादित जमीन पर से जबरन बेदखल ही करें करावें और न ही तथाकथित विवादित आराजियात को आगे कोई किसी प्रकार से हस्तांतरित ही करें. करावें व न ही विवादित आराजियात पर किसी भी बैंक अथवा सोसायटी से ऋण प्राप्त कर रहन का भार ही कायम करें करावें । इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्ध विपक्षी संख्या 01 से लागयत 09 पारित की जावें ।

10. अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं बाद विचारण निर्णय दिनांक 19.9.2022 द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया । जिससे व्यथित होकर यह प्रथम अपील न्याायालय हाजा में प्रस्तुत की गई।

11. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई एवं उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

12. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी प्रार्थीगण को अभी हाल ही में दिनांक 03.07.23 को हुई जब विपक्षीगण ने प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त में दखलन्दाजी की और बेदखल करने का प्रयास किया। जिस पर प्रार्थीगण ने उक्त दिनांक 03.07.23 को आलौच्य आदेश की प्रति हेतु मातहत अदालत में आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर दिनांक 11.07.23 को आलीच्य आदेश की प्रति प्राप्त हुई। जिस पर अपील तैयार करवा तत्काल यह अपील पेश की जा रही है।

13. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपील पेश करने में हुई देरी का कारण युक्तियुक्त होकर अपीलाण्टान की लापरवाही नहीं रहा है। प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर होने योग्य है। अन्यथा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

अपीलाण्टान के साथ भारी अन्याय होने की संभावना है। न्यायहित में तथा अपीलाण्टान के ग्रामीण परिवेश के निवासी होकर अशिक्षित गरीब होने के कारण भी देरी हो जाने के कारण को वाजीब आधारों पर कण्डोन की जाकर अपील अन्दर अवधि सुमार किये जाने योग्य है।

14. अपीलार्थीगण ने जानबूझकर अपील विलम्ब से प्रस्तुत नहीं की हे। अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक है।

15. अतः निवेदन है कि प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाकर दिनांक 19.09.22 से दिनांक 02.07.23 तक का जो समय जानकारी के अभाव में गुजरा है, को कण्डोन करते हुए अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानी जावे।

16. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है उनका यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने से पूर्व अधिवक्ता प्रार्थीगण को कोई किसी प्रकार से बहस करने का अवसर ही प्रदान नहीं किया और बिना बहस सुने ही अपने स्तर पर ही प्रार्थीगण अपीलाण्ट्स से प्रिज्यूडिस हो अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो कानूनन किसी कदर पोषणीय नहीं होने से निरस्त योग्य है।

17. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि राजस्व मण्डल अजमेर व उच्च न्यायालय द्वारा पारित काई ज्यूडिशियल प्रोनाउसमेण्टों के आधार पर भी यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदानकरने के उपरान्त ही प्रकरण में न्याय निर्णय पारित करना चाहिये । उक्त प्रतिपादित सिद्धान्त की भी अधीनस्थ न्यायालय ने घोर अवहेलना कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है , जो कानूनन पोषणीय नहीं होने से निरस्त योग्य है।

18. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में प्रार्थीगणों को बिना सुने ही अपने स्तर पर विवादित आराजियात के बाबत निष्पादित विक्रय पत्र को फ्रेगमेण्ट की तारीफ में मानते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है जबकि विवादित आराजियात पर विगत 40 वर्षो के अधिक समय से प्रार्थीगण काबिज हो उपयोग उपभोग करते चल आ रहे है। जिस आधार पर प्रथमदृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति तीनों ही बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण अपीलाण्ट्स से

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

प्रिज्यूडिश हो अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो कानूनन पोषणीय नहीं होने से निरस्त योग्य है।

19. अतः निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त कियाजावे एवं प्रार्थीगण अपीलार्थीगण के पक्ष में एवं विपक्षीगण रेस्पोडेण्ट्स के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जावे कि वाद के निर्णय तक विवादित आराजियात की विपक्षीगण प्रतिवादीगण मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा साथ ही विवादित आराजियात का प्रार्थीगण अपीलाण्ट द्वारा किये जा रहे शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, हस्तक्षेप नहीं करे।

20. प्रत्यर्थीगण के अनुपस्थित रहने से अधिवक्ता अपीलार्थीगण की एकतरफा बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया। अपीलार्थीगण ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी प्रार्थीगण को अभी हाल ही में दिनांक 03.07.23 को हुई जब विपक्षीगण ने प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त में दखलन्दाजी की और बेदखल करने का प्रयास किया। जिस पर प्रार्थीगण ने उक्त दिनांक 03.07.23 को आलौच्य आदेश की प्रति हेतु मातहत अदालत में आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर दिनांक 11.07.23 को आलीच्य आदेश की प्रति प्राप्त हुई। जिस पर अपील तैयार करवा तत्काल यह अपील पेश की जा रही है।

21. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपील पेश करने में हुई देरी का कारण युक्तियुक्त होकर अपीलाण्टान की लापरवाही नहीं रहा है। प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर होने योग्य है। अन्यथा अपीलाण्टान के साथ भारी अन्याय होने की संभावना है। न्यायहित में तथा अपीलाण्टान के ग्रामीण परिवेश के निवासी होकर अशिक्षित गरीब होने के कारण भी देरी हो जाने के कारण को वाजीब आधारों पर कण्डोन की जाकर अपील अन्दर अवधि सुमार किये जाने योग्य है।

22. अपीलार्थीगण ने जानबूझकर अपील विलम्ब से प्रस्तुत नहीं की हे। अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक है।

23. अतः निवेदन है कि प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाकर दिनांक 19.09.22 से दिनांक 02.07.23 तक का जो समय जानकारी के अभाव में गुजरा है, को कण्डोन करते हुए अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानी जावे।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

24. प्रत्यर्थीगण द्वारा रिबटल में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे अपीलार्थीगण द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने का जो कारण अंकित किया है उसका खण्डन होता हो। अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक होने से अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानी जाती है।

25. पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अध्ययन, अवलोकन किया गया । बहस का मनन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन,अध्ययन व मिलान किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के रेकार्ड अनुसार विकय पत्र दस्तावेज दिनाक 14.1.1982 का है। जिसको रेकार्ड में लेने के लिए कई प्रकार के विधिक तथ्य निहित है। कानूनन उसे राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जावे या नहीं इसका निर्धारण दावे में तय होना है। संभावना के आधार पर खातेदार को उसके हक हकूकों से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत सुनकर आदेश पारित किया है जो उचित है । जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

आदेश

26. अतः अपील अपीलार्थीगण सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.9.2022 को यथावत रखा जाता है ।

27. निर्णय आज दिनांक 17.2.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पी0आर0सैनी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा